

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज वाद् पत्र संख्या 59/2020 GCMS NO. 2020/00355 उनवानी देशराज आदि बनाम ब्रूथा आदि अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट 1955</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>01.08.2024</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता वादीगण को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता वादीगण हाजिर आये। अधिवक्ता वादीगण को सुना गया। पत्रावली की मत आदेशिकाओ का अवलोकन करने पर पाया कि वादीगण को प्रतिवादीगण की तामील करवाये जाने हेतु बार-बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी वादीगण ने दावा दायरी से लेकर आज तक प्रतिवादीगण की तामील नहीं करवाई है। इससे यह जाहिर होता है कि वादीगण को प्रतिवादीगण की तामील कराने में कोई रुधी नहीं है। बार बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी पूर्व आदेशिकाओं की पालना बिना किसी उचित कारण के जानबूझ के नहीं की जा रही है। अतः वादीगण का हस्तगत वाद् तामील के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



(Handwritten signature)
11/8/24

(सविता शर्मा)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला नीमकाथाना (राज0)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी